

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1580

दिनांक 20.09.2020/ 29 भाद्रपद, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम कम करने संबंधी परियोजना

†1580. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम कम करने संबंधी परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) चरण-I जिसे चक्रवात की बेहतर प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न राज्यों में लागू किया गया था, का उद्देश्य हासिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अब विश्व बैंक के वित्त पोषण से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम कम करने संबंधी परियोजना चरण-II लागू कर रही है और यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा ऋण की कितनी निधि प्रदान की जाएगी और इस परियोजना में केन्द्र और राज्य सरकारों की कितनी भागीदारी होगी;

(घ) इस परियोजना के मुख्य घटक क्या हैं और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसके अंतर्गत लगभग कितनी तटरेखा को शामिल किया जाना प्रस्तावित है; और

(ङ) राज्यों की संख्या, जो इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए हैं और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम कम करने संबंधी परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत परियोजना लागत, जारी निधियाँ और आरंभ की गई परियोजनाओं की सूची की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) का चरण-1, दो तटीय राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लागू किया जा रहा है। इसका ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ग): जी, हां। विश्व बैंक द्वारा एनसीआरएमपी के चरण-11 में 308.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है। परियोजना में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

(i) केंद्र का हिस्सा = 2157.63 करोड़ रु.

(ii) राज्य का हिस्सा = 533.37 करोड़ रु.

(घ): परियोजना के निम्नलिखित चार प्रमुख घटक हैं:

- घटक क - प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां
- घटक ख - चक्रवात जोखिम उपशमन अवसंरचना
- घटक ग - बहु आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता
- घटक घ - परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन

एनसीआरएमपी के चरण-11 के तहत महाराष्ट्र में 5 तटीय जिलों अर्थात पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में लगभग 700 किलोमीटर के तट को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु राज्य इस परियोजना के तहत शामिल नहीं है।

(ङ): एनसीआरएमपी के चरण-11 के तहत, छः राज्य (गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) शामिल हैं। परियोजना लागत और जारी निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-11** में दिया गया है। एनसीआरएमपी के चरण-11 के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की स्थिति **अनुलग्नक-111** में दी गई है।

लो.स.अता.प्र.सं. 1580, दिनांक 20.09.2020

अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के चरण-1 (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना का ब्यौरा:-

i. प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस):-

क्र.सं.	मद	आंध्र प्रदेश	ओडिशा
1.	साइट/लोकेशन (सं.)	255	122
2.	अलर्ट साइन (सं.)	153	122
3.	डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) संस्थापन (सं.)	238	238
4.	सैटेलाइट टर्मिनल (सं.)	20	14

ii. चक्रवात जोखिम उपशमन अवसंरचना:-

मद	आंध्र प्रदेश		ओडिशा	
	आयोजना	निष्पादित	योजना	निष्पादित
बहु-उद्देशीय चक्रवात आश्रय (एमपीसीएस) (सं.)	219	219	316	316
सड़क (किमी.)	698.02	698.02	388.50	388.50
पुल (सं.)	35	34	-	-
सेलाइन तटबंध (किमी.)	29.90	29.90	58.22	58.22

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना चरण-11

परियोजना लागत और जारी निधियों का ब्यौरा

करोड़ रु. में

राज्य	परियोजना परिव्यय/लागत			अगस्त 2020 तक जारी निधि		
	भारत सरकार	राज्य अंश	कुल	भारत सरकार	राज्य अंश	कुल
गोवा	97.29	20.52	117.81	40.89	1.47	42.36
गुजरात	577.56	159.62	737.18	269.89	66.93	336.82
कर्नाटक	123.65	33	156.65	100.01	16.38	116.39
केरल	128.83	17.77	146.60	42.6	2.29	44.89
महाराष्ट्र	367.8	91.72	459.52	98.05	7.31	105.36
पश्चिम बंगाल	725.16	210.74	935.90	570.64	164.94	735.58
परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	137.35	---	137.35	14.68	---	14.68
<b>कुल</b>	<b>2157.63</b>	<b>533.37</b>	<b>2691.00</b>	<b>1136.76</b>	<b>259.32</b>	<b>1396.08</b>

दिनांक 15 सितम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार एनसीआरएमपी-II की वास्तविक प्रगति

चक्रवात जोखिम उपशमन अवसंरचना (सीआरएमआई) से संबंधित कार्य

चक्रवात जोखिम उपशमन अवसंरचना के संबंध में राज्य-वार प्रगति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई	आयोजना	पूर्ण	निर्माण चरण	संविदा/अवार्ड चरण	
1	गोवा	एमपीसीएस	12(सं.)	0	10	2
		यूजीसी	98 किमी.	0	98 किमी.	-
2	गुजरात	एमपीसीएस	95(सं.)	28(सं.)	51	16
		सड़क	157 किमी.	157 किमी. (100%)	0	-
		यूजीसी	430 किमी.	0	0	430
3	कर्नाटक	एमपीसीएस	11(सं.)	4	7	-
		सड़क	48 किमी.	48 किमी. (100%)	0	-
		पुल (सं.)	2	-	2	-
		एसई	7.8 किमी.	-	7.8 किमी.	-
4	केरल	एमपीसीएस	17(सं.)	1	13	3
5	महाराष्ट्र	एमपीसीएस	11	0	0	11
		एसई	27.26 किमी. (3 पैकेज)	0	22.26 किमी. (2 पैकेज)	7.29 (1 पैकेज)
		यूजीसी	471किमी.	20.16	450.84 किमी.	-
6	पश्चिम बंगाल	एमपीसीएस	146(सं.)	146 (100%)	0	-
		यूजीसी	515 किमी.	414 किमी.	86 किमी.	15

- \*एमपीसीएस : बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय  
यूजीसी : भूमिगत केबल बिछाना  
एसई : सेलाइन तटबंध

\*\*\*\*\*

